बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

नया सचिवालय, विकास भवन, पटना–800015

सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर गृह निर्माण का सुनहरा अवसर

'सबके लिए आवास'(शहरी)

ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना से संबंधित आम सूचना : –

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा **'प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास'(शहरी)** संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत शहर में आवासित वैसे लोग जिनका अपना पक्का घर ना हो, गृह निर्माण के लिए ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के चार घटक हैं जो निम्न हैं–

1. भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग कर के 'स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास'–
2. **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS)**–
3. भागीदारी में किफायती आवास –
4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास (नया एवं विस्तार)–

ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (CLSS) योजना जिसकी अवधि 2015–22 तक निर्धारित है। इसके अंतर्गत 20 वर्षों हेतु 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' (EWS), निम्न आय वर्ग' (LIG) तथा मध्यम आय वर्ग (MIG) वाले परिवारों को आवास निर्माण एवं विस्तार हेतु सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

नोट :- मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों जिसे दो श्रेणियों यथा MIG–I और MIG-II में बांटा गया है। उनके लिए यह योजना सिर्फ एक वर्ष **(1.1.2017 से 31.12.2017)** हेतु ही लागू है।

भारत सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक तथा 'हुडको' (HUDCO) को **सेंट्रल नोड्ल एजेंसी** के रूप में चयनित किया गया है।

आय के आधार पर 'ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना' के लाभार्थियों को चार श्रेणी में बांटा गया है–

क्रम सं0	विवरण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS	निम्न आय वर्ग LIG	मध्यम आय वर्ग MIG–I	मध्यम आय वर्ग MIG–II
1.	पारिवारिक वार्षिक आय (रू0)				
	न्यूनतम (रू0)	0	3,00,001	6,00,001	12,00,001
	अधिकतम (रू0)	3,00,000 तक	6,00,000	12,00,000	18,00,000
2.	गृह का कारपेट क्षेत्र/अधिकतम (वर्ग मी0)	30	60	90	110
3.	ऋण राशि (रू0) अधिकतम	3,00,000	6,00,000	9,00,000	12,00,000 तक
4.	ब्याज सब्सिडी (% प्रतिवर्ष)	6.5	6.5	4	3
5.	अधिकतम ब्याज सब्सिडी राशि (रू0)	1,10,093	2,20,187	2,35,068	2,30,156

आवेदन कहां करें :–

विभिन्न श्रेणी के पात्र लाभुक अपना ऋण आवेदन नगर निकाय के माध्यम से अथवा सीधे बैंक अथवा हाउसिंग फिनान्स कम्पनी को आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु आवेदन प्रपत्र संबंधित बैंक/हाउसिंग फिनान्स कम्पनी से प्राप्त की जा सकती है।

योजना से लाभ :–

इस योजना के अधीन प्राप्त होने वाला सब्सिडी सीधे आवेदक के ऋण खाते में आ जाता है जिससे उनका ब्याज दर काफी कम हो जाता है।

पात्रता:

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित पुत्री शामिल होंगे।

लाभार्थी के पास उसके नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

विवाहित जोड़े के मामले में या तो पति/पत्नी अथवा संयुक्त स्वामित्व में दोनों एक साथ एक आवास के लिए पात्र होंगे बशर्ते की स्कीम के तहत परिवार की आय पात्रता के अंतर्गत आती हो।

शर्त :–

विभिन्न बैंको/हाउसिंग फिनान्स कम्पनियों के द्वारा गृह ऋण स्वीकृति हेतु लागू सामान्य प्रक्रिया एवं शर्त के अनुरूप ही इस योजना में भी गृह ऋण की स्वीकृति दी जाएगी।

संपर्क :– किसी भी असुविधा अथवा विशेष जानकारी हेतु संबंधित नगर निकाय से संपर्क किया जा सकता है।

1/6/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग